(भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं0 16 /2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 12 जुलाई, 2017

विषयः आईटीसी(एचएस) 2017– अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 98 के तहत मदों की अध्याय टिप्पणियां और आयात नीति एवं नीतिगत शर्तों में संशोधन।

सा० आ०(अ०): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अध्याय 98 की मदों की अध्याय टिप्पणियां और आयात नीति शर्तों में निम्नानुसार संशोधन करती हैः–

2. अध्याय 98 के तहत अध्याय टिप्पणियों में संशोधनः–

टिप्पणियां		
क्रम सं०	**वर्तमान प्रावधान**	**संशोधित प्रावधान**
	शीर्ष 9803 और 9804 को इन पर लागू नहीं माना जाएगा क) मोटर वाहन ख) मादक पेय पदार्थ ग) कूरियर सेवा के माध्यम से आयातित वस्तुएं	शीर्ष 9803 और 9804 को इन पर लागू नहीं माना जाएगाः– क) मोटर वाहन ख) मादक पेय पदार्थ; और ग) तम्बाकू और उससे विनिर्मित उत्पाद

3. अध्याय 98 के तहत एक्जिम कोडों की नीति और नीतिगत शर्तों में संशोधन।

एक्जिम कोड	मद का वर्णन	नीति	वर्तमान नीति शर्तें	संशोधित नीति	संशोधित नीतिगत शर्तें
9804 10 00	दवा एवं औषधियाँ	प्रतिबंधित	विदेश व्यापार (कतिपय मामलों में नियमों को लागू करने में छूट) आदेश, 1993 के खण्ड 3(1), (i) में यथा विनिर्दिष्ट 2000 रुपये (सीआईएफ) की मूल्य सीमा और अन्य शर्तों के अधीन	मुक्त	डीजीएचएस द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन
9804 90 00	अन्य	प्रतिबंधित	विदेश व्यापार (कतिपय मामलों में नियमों को लागू करने में छूट) आदेश, 1993 के खण्ड	मुक्त	विदेश व्यापार नीति में यथा उल्लिखित ऐसी शर्तों के अधीन

			3(1), (i) में यथा विनिर्दिष्ट 2000 रुपये (सीआईएफ) की मूल्य सीमा और अन्य शर्तों के अधीन		
9805 10 00	तैयार या परिरक्षित मांस, मछली और सब्जियां; डेरी उत्पाद; सूप; चरबी; ताजा फल	प्रतिबंधित	विदेश व्यापार (कतिपय मामलों में नियमों को लागू करने में छूट) आदेश, 1993 के खण्ड 3(1), (i) में यथा विनिर्दिष्ट 2000 रुपये (सीआईएफ) की मूल्य सीमा और अन्य शर्तों के अधीन	मुक्त	विदेश व्यापार नीति में यथा उल्लिखित ऐसी शर्तों के अधीन
9805 90 00	ईंधन, ल्यूब्रिकेटिंग तेल, मादक पेय पदार्थ और तम्बाकू उत्पाद को छोड़कर अन्य सभी उपभोज्य भंडार	प्रतिबंधित	विदेश व्यापार (कतिपय मामलों में नियमों को लागू करने में छूट) आदेश, 1993 के खण्ड 3(1), (i) में यथा विनिर्दिष्ट 2000 रुपये (सीआईएफ) की मूल्य सीमा और अन्य शर्तों के अधीन	मुक्त	विदेश व्यापार नीति में यथा उल्लिखित ऐसी शर्तों के अधीन

4. **<u>इस अधिसूचना का प्रभाव</u>:** आईटीसी (एचएस), 2017 अनुसूची–I (आयात नीति) के एक्जिम कोड 9804 और 9805 के लिए मदों की अध्याय टिप्पणी, आयात नीति और नीतिगत शर्तों मे परिवर्तन को अधिसूचित किया जाता है।

(अनूप वधावन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेल:– dgft@nic.in

(फा० सं० 01/93/180/16/एएम–16/पीसी–2 (ख) से जारी)